राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3320/2024

खुशहाल चन्द गुप्ता **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, अलवर (राज.)।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अकबरपुर, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.11.2024
आदेश की दिनांक : 25.11.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमार शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अकबरपुर, अलवर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 21.02.2024 के द्वारा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई और आदेश दिनांक 12.03.2024 के द्वारा उसे जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारंभिक शिक्षा, प्रतापगढ पदस्थापित किया गया और आदेश दिनांक 20.06.2024 एवं 04.11.2024 के द्वारा उसे कार्यमुक्त किया गया है, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु उसे निरस्त कर दिया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी को गंभीर चोटे हैं, जिसमें उसके कई जगह फैक्चर

हुआ है, जिसका उपचार चल रहा है। अपीलार्थी के पुत्र जो मायोपिया बीमारी से पीडित है, फिर भी अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से 600 कि.मी. दूर पदस्थापित किया गया है और जो अपीलार्थी से कनिष्ठ हैं उनके अभ्यावेदन पर विचार करते हुये उनके पदस्थापन बदल दिये गये हैं। जबकि अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी आदेश दिनांक 12.03.2024 एवं 20.06.2024 के विरूद्ध अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2845/2024 प्रस्तुत की, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन दिया और प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 04.11.2024 के द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया, जो उसकी वर्तमान परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हुये खारिज किया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 12.03.2024, 20.06.2024 एवं 04.11.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अकबरपुर, अलवर में कार्यरत है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 21.02.2024 के द्वारा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई और आदेश दिनांक 12.03.2024 के द्वारा उसे जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारंभिक शिक्षा, प्रतापगढ पदस्थापित किया गया। जहां तक अपीलार्थी को आदेश दिनांक 12.03.2024 के द्वारा प्रतापगढ पदस्थापित किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 21.02.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है और पदोन्नति उपरांत आदेश दिनांक 12.03.2024 के द्वारा उसे प्रतापगढ पदस्थापित किया गया है, जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किसी कार्मिक की सेवायें किस स्थान पर जनहित में ली जानी हैं। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। चूंकि अपीलार्थी का पदोन्नति उपरांत पदस्थापन किया गया

है, जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के ग्राह्यता के प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य